विविध बैंक प्रकरण संख्या 21/2019 (RCMS 2019/00038) पंजाब नेशनल बैंक, पदमपुर जरिये श्री जसबीर सिंह मीलू, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, मीरा चौक, श्रीगंगानगर बनाम 1. श्री हरभगवान पुत्र श्री रामजी दास अरोड़ा निवासी प्लॉट नं. 1290, इन्दिरा कॉलोनी, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

13.11.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी श्री हरभगवान को ऋण सुविधा के रूप में 10.00 लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख रूपये मात्र) का ऋण दिनांक 18.04.2016 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी श्री हरभगवान की अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 1290, इन्दिर कॉलोनी, पदप्मपुर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20' गुणा 50: वर्गफुट) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.06.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणियों के नाम दिनांक 30.06.2018 को 10,45,411/-रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 24.07.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया जिसकी तामील अप्रार्थी स्वयं पर व्यक्तिशः हो चुकी है जिसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी हरभगवान द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गंई अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 1290, इन्दिर कॉलोनी, पदपमपुर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20' गुणा 50: वर्गफुट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री हरभगवान को 10.00/—लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 18.04.2016 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में हरभगवान द्वारा अपनी अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 1290, इन्दिर कॉलोनी, पदपमपुर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20' गुणा 50: वर्गफुट) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 30.06.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 24.07.2018 जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस पर अप्रार्थी ऋणी के स्वयं के हस्ताक्षर है जिसके अनुसार उक्त धारा 13(2) का नोटिस तामील हो चुका है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक ऋण की एवजं में बंधक रखी गयी अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 1290, इन्दिर कॉलोनी, पदपमपुर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20' गुणा 50: वर्गफुट) जो श्री हरभगवान के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 24.07.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 24.07.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी ऋणियों श्री हरभगवान के नाम जारी किये गये है जो अप्रार्थीगण स्वयं को प्राप्त हो चुके है, जिनके हस्ताक्षर युक्त 13(2) के नोटिस पत्रावली में उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी श्री हरभगवान द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा पदमपुर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 1290, इन्दिर कॉलोनी, पदपमपुर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20' गुणा 50: वर्गफुट) जो कि ऋणी श्री हरभगवान के

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर